राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या 1501/2014/अजमेर
अपील संख्या 1502/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,आबूरोड,राज. — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स किरण ग्लोबल केमस लिमिटेड,
ब्यावर, अजमेर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री ईशु जैन
सी.ए — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 30.09.2016

निर्णय

ये दोनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय,आबूरोड, राजस्थान (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा)ने अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 145 व 146/2013–14/ब्यावर कोटा में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी की होने एवं निर्णय हेतु विवादित बिन्दु एक समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ दोनों पत्रावलियों पर रखी जा रही हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2013 को एन.एच.27 हनुमान टेकरी (आबूरोड) पर वाहन संख्या आरजे–24–जीए–1588 व वाहन संख्या आरजे–24–जीए–2799 की सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, आबूरोड द्वारा चेक करने पर उक्त वाहनों में सोडियम सिलिकेट ग्लास परिवहनित करते हुए पाया गया, जिसके सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी द्वारा मैसर्स भाटी रोडलाईस मोरबी द्वारा जारी जी आर नम्बर 1581 दिनांक 24,09,2013 किराया 22201/– गांधी धाम से पाली मारवाडा व मैसर्स भाटी रोडलाईस मोरबी द्वारा जारी जी आर नम्बर 1584 दिनांक 24,09,2013 किराया 19950/– गांधी धाम से पाली मारवाडा तथा मैसर्स किरण ग्लोबल केमस लिमिटैड,गांधीधाम द्वारा जारी इनवाईस संख्या 563 व 564 दिनांक 24.9.2013 माल वजन क्रमशः 23370/–किलो व 20901 किलो सोडियम सिलिकेट ग्लास कीमत क्रमशः रू. 3,34,797/–व रू. 3,15,414/–स्टॉक ट्रांसफर एफ फार्म से समर्थित पाली ब्रांच के लिए जारी किया हुआ आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया कि दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र वैट–47 प्रस्तुत नही किया गया है,जिससे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे

अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने से अधिनियम की धारा 76 (5)(ए) के तहत वाहन मय माल को निरूद्ध किया जाकर अभियोग दर्ज किया गया तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को बिना घोषणा पत्र वैट के परिवहनित करने के लिए तारीख पेशी 03.10.2013 के लिए दिनांक 27.09.2013 को नोटिस जारी किया, जिसकी पालना की प्रत्यर्थी व्यवहारी ने दिनांक 30.09.2013 को उपस्थित होकर जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2108989 व 2108988 मूल प्रति पेश करते हुए बताया कि चालक की गलती से भूलवश पीछे गांधीधाम में ही रह गये थे, जो मानवीय गलती है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत क्रमशः रू. 1,07,100 / – व रू. 1,00,609 / –आरोतिप करते हुए आदेश दिनांक 30.09.2013 पारित किये। उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए अपीलें स्वीकार की हैं, जिनसे क्षुब्ध होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2013 को वाहनों की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ बिल एवं बिल्टी पायी गयी, परन्तु वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं होने से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर, जवाब के साथ वैट–47 प्रस्तुत किये गये है, जिन्हें अमान्य करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति क्रमशः रू. 1,07,100 / – व रू. 1,00,609 / –आरोपित की हैं, जो पूर्णतः विधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम के विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2014 पारित कर आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि माल परिवहन के समय माल के साथ अधिनियम के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित दस्तावेज नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्तियॉ आरोपित की थीं, जिसको अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से अपास्त किया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी पी मेटल्स के आधार पर शास्ति को अपास्त किया है, जो गलत है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण के तथ्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तथ्यों से भिन्न है। उन्होंने अपने

कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डट्रीज के निर्णय को उद्धृत करते हुए आरोपित शास्तियों को उचित बताते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल से सम्बन्धित सभी वांछित दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नही होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब के साथ सभी कारणों का उल्लेख करते हुए घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 2108989 व 2108988 नोटिस में दी गई तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 30.09.2013 को प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिससे प्रमाणित होता है कि उसकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए शास्ति आरोपण की कार्यवाही की है,जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि वक्त जांच वाहन के साथ बिल, बिल्टी मौजूद थी, जिनमें माल भेजने व पाने वाले का पूर्ण नाम व पता, माल का विवरण एवं माल की कीमत एवं उनके पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या आदि सभी पूर्ण विवरण अंकित था। उन्होंने शासन सचिव वित (राजस्व)के पत्र कमांक एफ.12(15) वित्त/ कर/2008/पार्ट–3 दिनांक 30.8.2008 को हवाला देते हुए बताया कि उक्त परिपत्र के आधार पर भी परिवहन के दौरान वैट–47 एवं 49 साथ नहीं होने पर भी उनके विरूद्ध शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती थी। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट–2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अतिरिक्त इसी पीठ द्वारा अपील संख्या 2282/2010/कोटा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,प्रतिकरापवंचन घट प्रथम, वृत–तृतीय,राज.जयपुर बनाम मैसर्स कृष्णा सेल्स कारपोरेशन, 177, शोपिंग सेन्टर,कोटा प्रस्तुत किया, जिसमें उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित मत के अनुसरण में शास्तियों को अपास्त करने को उचित ठहराया गया है। उन्होंने कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 1164/10

जयपुर मैसर्स ए बी बी लिमिटैड,सी–14, अलखनंदा जनपथ, जयपुर निर्णय दिनांक 04.03.2016 को उद्धृत करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि वक्त जांच सोडियम सिलिकेट ग्लास वाहन में भरा हुआ था, जिसका परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के रूप में गांधीधाम से पाली मारवाड के लिए किया जा रहा थां । वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं पाये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने माल परिवहन के समय उसके साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 होना आज्ञापक माना है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 नहीं होने के कारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने पर जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 2108989 व 2108988 पेश किये गये हे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अमान्य करते हुए अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत क्रमशः शास्ति रू. 1,07,100/–व रू. 1,00,609/–आरोपित की है,जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2014 पारित कर आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट–2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :–

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :-

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्टस, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,उडनदस्ता बांसवाडा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".............On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत आरोपित शास्तियॉ उचित नहीं है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.04.2.14 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य